{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

श्याम पुत्र नरसा जाति–माली निवासी भगतसिह की ढाणी तन सैनीनगर तहसील नवलगढ़	–बनाम–	गोपाल पुत्र रामकुमार वगै. जाति–माली निवासी रोहिडा वाली ढ़ाणी तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़

किस्म मुकदमा –प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधज्ञा — मु.नं. 125/2020

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
23.10.2020	यह प्रा0 पत्र श्याम पुत्र नरसा जाति–माली निवासी भगतसिह की ढाणी तन सैनीनगर तहसील नवलगढ़ कि ओर से जरिये वकील श्री नेमीचन्द डूडी विरूद्व अप्रार्थीगण गोपाल पुत्र रामकुमार वगै. जाति– माली निवासी रोहिडा वाली ढ़ाणी तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़ 1 लगायत 4 पेश हुआ। प्रकरण के अवलोकन से प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक प्रतित होता है। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर ,नियमानुसार प्रस्तुत सम्मन/तलबाना पर अप्रार्थीगण की तलबी जारी हो पत्रावली आईन्दा दिनांक 20/11/2020 को पेश हो। (इन्द्राज सिह) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ	Notices
20/11/20	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उप0। तलबी आवश्यक लौटकर नहीं आई। पत्रावली इन्तजार तलबी दिनांक 11/1/21 को पेश हो।	
11/1/21	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible] कार्यों/चुनाव [illegible] में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते [illegible] कार्यवाही दिनांक 23/3/21 को पेश हो। रीडर	
23/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उपस्थित। अनावेदक नं. 1 व 3 की ओर से वकील श्री विकास सैनी उपस्थित। प्रतिवादी नं. 2 व 4 बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित अतः एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील पत्रावली बहस नियत	

सीधे ही बहस प्रस्तुत करने पर बहस मूल प्रा० पत्र सुनी गई। वकील आवेदक ने प्रा० पत्र मूल के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया की अना० सं० 1 लगा० 3 को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जावे की भूमि ख० नं० 1345, 1357, 1359, 1360 1375 रकबा क्रमशः 0.10, 0.21, 2.10, 1.46, 0.24 हे० कुल किता 5 कुल रकबा 4.11 हे० वाके ग्राम नवलपी मे स्थित भूमि को गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर किसी को विक्रय या दान नही करे न ही वेस्ट व डेमेज करे। आवेदक के ~~उपभोग~~ उपभोग मे किसी प्रकार बाधा नही डाले। न तो स्वयं करे न नौकर चाकर से करावे। अनावेदक सं० 4 को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जावे की अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र, दान पत्र न तो स्वयं तस्दीक करे अथवा न अपने अधिनस्थ कर्मचारियो से तस्दिक करावे। वाद ग्रस्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रा० पत्र मे वर्णित तथ्यो, बहस पक्षकारान सुनने पर प्रथम दृष्टया वकील आवेदक का उक्त कथन उचित प्रतित होता है।

अतः अनावेदक सं० 1 लगायत 3 को ~~अति~~ मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि भूमि ख० नं० 1345, 1357, 1359, 1360, 1375 रकबा क्रमशः 0.10, 0.21, 2.10, 1.46, 0.24 हे० कुल किता 5 कुल रकबा 4.11 हे० वाके

निरंतर

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	~~[illegible]~~ ग्राम नवलडी मे स्थित भूमि मे किर्डि एंव मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। अनावेदक सं. 4 को भी अगिमे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है की अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र, दान पत्र उक्त आराजी के सम्बन्ध मे मूल वाद के निस्तारण तक तामिल नही करे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नवलगढ़ / उप पंजीयक नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो। उक्त आदेश अराजियात के प्रचलित रास्तो पर लागू नही होगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा ताहिराने मूल वाद के साथ नथ्थी रखी जावे। आदेश आज दिनांक 23/3/2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	